न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 69/2024

प्रार्थी

छगनलाल पुत्र नवा जी, जाति– माली, निवासी–गोयली, तहसील व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

ग्राम पंचायत, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री शेखर कच्छवाह, प्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 31 जनवरी, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा प्रार्थी के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 587–2 वर्गफीट भूमि का प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 04.10.2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी का निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया एवं ग्राम पंचायत, गोयली से उक्त प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली के ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ एवं न ही अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली की ओर से निगरानी आवेदन का जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता की दिनांक 29.01.2025 को बहस सुनी गई।

(3) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी का पुश्तैनी मकान ग्राम गोयली में आया हुआ है एवं प्रार्थी, ग्राम गोयली, ग्राम पंचायत गोयली का मूल निवासी है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत गोयली के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच, ग्राम पंचायत, गोयली ने दिनांक 04.10.2021, को एक पट्टा आवासीय भूमि का, जिसका पट्टा संख्या 23 बुक संख्या 528, दायर दिनांक 15.09.2021, मिसल 05/2021, क्षेत्रफल 587–2 वर्गफीट का, नियम विरुद्ध, निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना झूठे शपथ पत्रों एवं झूठी रिपोर्ट के आधार पर पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली ने असल पट्टा जारी नहीं कर प्रमाणित पट्टे की प्रतिलिपि जारी की है, उस पर सचिव के हस्ताक्षर है, जबकि सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार, उक्त प्रश्नगत पट्टा विधि के प्रावधानों के विपरित जारी होने से आरंभतः शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है उस पट्टे पर पंचायत की गोल मोहर अंकित नहीं है व सरपंच के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली ने जो पट्टा संख्या 23 जारी किया गया है वह भूमि निगरानीकार प्रार्थी छगनलाल की है। यह कि उक्त पट्टा जारी करने में विधि के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन हुआ है तथा धोखाधड़ी व छलपूर्वक तत्कालीन सरपंच व सचिव ने यह पट्टा जारी करवाकर प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात करते हुए सरकार को लाखों रुपयों की राजस्व हानि भी पहुंचाई है। प्रार्थी को उक्त प्रश्नगत पट्टा

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

गलत बनाने के संबंध में जानकारी पूर्व में नही हुई है। इस कारण पूर्व में प्रार्थी इस पट्टे पर आपत्ति व निगरानी आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाया था। वैसे विधि में निगरानी हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत गोयली द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 04.10.2021 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा प्रार्थी छगनलाल पुत्र नवा जी माली, निवासी– गोयली के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 587–2 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 23 दिनांक 04.10.2021 (जिस पर मिसल संख्या 05 / 2021 दायर दिनांक 15.9.2021 अंकित है) को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा :–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100 / – रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200 / – रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान" के स्थान पर अभिव्यक्ति 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान" प्रतिस्थापित की गई है।

इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि "प्रार्थी का पुश्तैनी मकान ग्राम गोयली में आया हुआ है एवं प्रार्थी, ग्राम गोयली, ग्राम पंचायत गोयली का मूल निवासी है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत गोयली के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच, ग्राम पंचायत, गोयली ने दिनांक 04.10.2021, को एक पट्टा आवासीय भूमि का, जिसका पट्टा संख्या 23 बुक संख्या 528, दायर दिनांक 15.09.2021, मिसल सं. 5 / 2021, क्षेत्रफल 587–2 वर्गफीट का, नियम विरुद्ध, निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना झूठे शपथ पत्रों एवं झूठी रिपोर्ट के आधार पर पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली ने असल पट्टा जारी नहीं कर प्रमाणित पट्टे की प्रतिलिपि जारी की है, उस पर सचिव के हस्ताक्षर है, जबकि सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार, उक्त प्रश्नगत पट्टा विधि के प्रावधानों के विपरित जारी होने से आरंभतः शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आता है।" प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में यह भी अंकित किया है कि "अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला न्यायालय सिरोही

ने जो पट्टा संख्या 23 जारी किया गया है वह भूमि निगरानीकार प्रार्थी छगनलाल की है।" लेकिन प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में यह स्पष्ट नही किया है कि ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा प्रार्थी को उसके पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी करने से प्रार्थी के हित किसी प्रकार व कैसे प्रभावित हो रहे है तथा प्रार्थी का उक्त प्रश्नगत पट्टे को निरस्त कराने में क्या हित निहित है। जबकि ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत प्रार्थी के हक में पुराने गृह के विनियमितिकरण करते हुए आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में यह भी स्पष्ट नही किया है कि ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा प्रार्थी के पक्ष में उक्त पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के किन प्रावधानों की पालना नही की गई है एवं पट्टा जारी करने में क्या अनियमितता हुई है। चूंकि प्रार्थी स्वयं ने निगरानी आवेदन में प्रार्थी का पुश्तैनी मकान ग्राम गोयली में स्थित होना अंकित किया है एवं ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पुराने गृह के विनियमितिकरण का ही पट्टा जारी किया है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31 जनवरी, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला न्यायालय कलक्टर *सिरोही*
सत्यमेव जयते